बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in, ई-मेल: bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 01-03/2019 2423 /पटना, दिनांक 26/12/2019

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी,
बिहार।

विषयः **नाजिर रसीद के माध्यम से नामांकन शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के खाते में जमा कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (01 जुलाई, 2019 तक संशोधित) के पृष्ठ 24 में उल्लेख है कि ''नामांकन शुल्क की राशि संबंधित सहयोग समितियों के कार्यालय में जमा की जायेगी तथा इस प्रकार प्राप्त राशि संबंधित सहयोग समिति के खाते में जमा होगी। समितियों में राशि जमा करने में कोई कठिनाई या असुविधा की स्थिति में नामांकन शुल्क की राशि निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में भी जमा कराई जा सकेगी, जो राशि जमा किये जाने के परिणामस्वरूप समुचित रसीद निर्गत करेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कराई गई नामांकन शुल्क की राशि निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र (अधिकतम दो सप्ताह के अन्दर) संबंधित समिति के खाते में जमा करा दी जायेगी।''

अतः अनुरोध है कि प्राधिकार के उक्त प्रावधान के आलोक में प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन, 2019 के तहत नामांकन शुल्क के रूप में नाजिर रसीद के माध्यम से प्राप्त राशि को दिनांक 31.12.2019 तक निश्चित रूप से संबंधित समिति के खाते में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

26.12.19

(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2423 /पटना, दिनांक : 26/12/2019

प्रतिलिपि : सभी नोडल पदाधिकारी (स०स०) -सह- उप विकास आयुक्त को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि नामांकन शुल्क के रूप में नाजिर रसीद के माध्यम से प्राप्त राशि को संबंधित समिति के खाते में निर्धारित समय-सीमा में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाय। कृपया प्रखंडवार समीक्षा कर दिनांक 07.01.2020 तक अनुपालन से अवगत भी कराएँ।

26.12.19

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2423 /पटना, दिनांक : 26/12/2019

प्रतिलिपि : सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) -सह- जिला पदाधिकारी/ सभी सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस विषयक संबंधित पैक्सों को भी जानकारी दें तथा निर्वाचन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करके नामांकन शुल्क समिति के खाते में जमा करवाएँ।

26.12.19

संयुक्त सचिव।

BSEA dt..23.12.2019 Raghu